न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्रीमती कुसुमलता चौहान , आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 160/2022

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01. ओमीदेवी पुत्री जगनाथ पत्नी कालूराम जाति पालीवाल ब्रहमण निवासी— चन्दलाई हाल भटिंडा तहसील लुणी जिला— जोधपुर		01. मांगीदेवी पुत्री जगनाथ पत्नी लुणाराम 02. लादुराम पुत्र जगनाथ 03. सुखीदेवी पुत्री जगनाथ पत्नी दलाराम जातियान पालीवाल ब्रहमण निवासी— चन्दलाई हाल लोलावास तहसील लुणी, जिला— जोधपुर। 04. तहसीलदार सोजत, तहसील सोजत, जिला— पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थितिः—

01. श्री पंकज त्रिवेदी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित

दिनांक 20/05/24

—: निर्णय :—

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा चन्दलाई पटवार हल्का सरदारसमंद भू.अ.नि. क्षेत्र शिवपुरा तहसील सोजत के वर्तमान खाता संख्या 404 की राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2074 से 2077 खसरा संख्या 414, 514, 727 कुल खसरा 03 कुल रकबा 3.200 हैक्टर की भूमि आई हुई स्थित है। वादस्थ भूमि में प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 प्रत्येक का 01/04—01/04 हक हिस्सा हकूक खातेदारी कब्जा काश्त का चला आ रहा है, जिस पर प्रार्थीया अपने हिस्से अनुसार शांतिपूर्वक ढंग से काश्त कार्य करती रही है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की राजस्व रेकड में संयुक्त सामलाती, खतेदारी, कब्जाकाश्त की आई हुई स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड में आज दिनांक तक वैध बंअवाडा नहीं हो रखा है अर्थात उपरोक्त कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में अविभाजित कृषि भूमि है, लेकिन मौके पर प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण संख्या एक लगायत तीन मौखिक बंटवाडा अनुसार अपने अपने हक हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त, उपयोग व उपभोग बिना किसी बाधा/अडचन के शांतिपूर्वक तरीके से खुल्लम खुल्ला करते आए है तथा प्रार्थीया का सम्पूर्ण आराजीयात में 01/04 हक हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त उपयोग व उपभोग आज दिनांक तक चला आया है तथा प्रार्थीया ने अपने हक हिस्से की भूमि को उपजाउ बनाने हेतु लाखो रूपए विनियोजत किए है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 से 03 आए दिन वादस्थ कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड में विधिक बंटवाडा नहीं होने के अभाव में प्रार्थीया के हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि पर अनावश्यक दखलअंदाजी कर कब्जे काश्त, उपयोग व उपभोग में बाधा कारित करने को उतारू रहते हैं तथा प्रार्थीया के हक हिस्से की भूमि पर लाठी लकडी के बल पर प्रार्थीया के फसल को अवैध रूप से काट कर ले जाते है, जिसका विरोध करने पर अप्रार्थी संख्या 01 से 03 प्रार्थीया के साथ झगडा करने पर उतारू हो जाते है, जबकि अप्रार्थी संख्या 01 से 03 को प्रार्थीया के हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि में दखल

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

Scanned with CamScanner

अंदाजी करने का कोई वैध अधिकार प्राप्त नहीं हैं अप्रार्थी संख्या 01 से 03 बिना किसी विधिक बंटवाडा करवाए, विशिष्ठ भू–भाग का अन्यत्र विक्रय, हस्तातंरण इत्यादि करने को भी आमादा है, जिसका की अप्रार्थी संख्या 01 से 03 को कोई वैध अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 से 03 को ऐसे विधि विरूद्ध कृत्य करने से जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा चन्दलाई पटवार हल्का सरदारसमंद भू.अ.नि. क्षेत्र शिवपुरा तहसील सोजत के वर्तमान खाता संख्या 404 की राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2074 से 2077 खसरा संख्या 414, 514 , 727 कुल खसरा 03 कुल रकबा 3.200 हैक्टर की भूमि के विधिक बंटवाडा तक अप्रार्थी 01 से 03 वादस्थ कृषि भूमि पर बेचान, हस्तातंरण नहीं करे एवं प्रार्थीया के हिस्से की कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 01 से 03 किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करे तथा मौका एवं एवं रेकर्ड की यथास्थिति कायम रखे।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र दवे, श्री सुनिल दवे, श्रीभगवती प्रसाद चौहान ने संयुक्त रूप से वकालतनामा पेश किया। बार–बार अवसर दिए जाने के बावजूद अधिवक्ता अप्रार्थीगण जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने में असफल रहने से जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 06.05.2024 को बंद किया गया।

बहंस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि सरहद मौजा चन्दलाई पटवार हल्का सरदारसमंद भू.अ.नि. क्षेत्र शिवपुरा तहसील सोजत के वर्तमान खाता संख्या 404 की राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2074 से 2077 खसरा संख्या 414, 514 , 727 कुल खसरा 03 कुल रकबा 3.200 हैक्टर की भूमि के विधिक बंटवाडा किये बिना अप्रार्थी 01 से 03 भूमि का बैचान करने व प्रार्थी द्वारा उपजाउ बनाई गई भूमि में दखल अन्दाजी करने पर आमादा है। जिन्है जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्ययक है। जबाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थी रेकर्डेड खातेदार है। वादस्थ भूमि सामलाती कृषि भूमि है जिससे रेकर्डेड खातेदार के वियद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तु प्रार्थना मय शपथ पत्र तथा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 के जवांब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं फहरिस्त मय दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः पक्षकारों के हक अधिकार दस्तावेजो के आधार पर तनकियात कायत होकर/साक्ष्य उभयपक्ष रेकर्ड पर वाद विवेचन/विश्लेषण कर विनिश्चय किया जावेगा। वर्तमान परिपेक्ष्य में वादस्थ भूमि अविभाजित कृषि भूमि है। लिहाजा मूल वाद निर्णय तक उभप पक्षो को मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं विशिष्ठ भू भाग का बैचान करने से रोका जाना न्यायोचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा चन्दलाई के खसरा नम्बर 414, 415, 737 कुल खसरा 03 कुल रकबा 3.20 हैक्टर की कृषि भूमि में

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

उभय पक्ष कारान वाद निर्णय तक एक दुससे के मौके पर स्थित हिस्से में दखल अन्दाजी नही करेगें तथा विशिष्ट भू0भाग का बैचान नही करेगें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उप खण्ड अधिकारी • सोजत, जिला-पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 20/05/... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

Scanned with CamScanner